न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 69/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/95)

वादीगण	बनाम प्रतिवादी
1. देवेन्द्र सिंह पुत्र मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 2. रणजीत सिंह पुत्र मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 3. चरणजीत कौर पत्नी मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर।	1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 01.04.2025

उपस्थितः 1. श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण

—निर्णय—

दिनांकः 13.05.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 3 डब्लयू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 47/39 के मुरब्बा नम्बर 44, 45, 46, 57/23 की कुल 8.387 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम 7 डब्लयू, पटवार हल्का रामगढ संगर, भू. अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 78/34 के मुरब्बा नम्बर 28, 37, 44, 48/23 की कुल 6.464 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 21/21 के मुरब्बा नम्बर 40, 48/28, 48/29 की कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 20/20 के मुरब्बा नम्बर 40 की कुल 0.632 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है। वादीगण एक ही परिवार के सदस्यगण है। वादीगण के नाम से उक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज है, लेकिन वादीगण ने अपनी अपनी सुविधो के अनुसार भूमि का बंटवारा कर रखा है तथा उसी के अनुसार भूमि पर शांतिपूर्वक, निरंतर, निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चले आ रहे है। वादीगण बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि में फसल काश्त करते है, लेकिन उक्त भूमि मुताबिक काश्त के अनुसार दर्ज नही है। रकबा का बंटवारा व काश्त के अनुसार भूमि का अंकन नही होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण अपने कब्जा व काश्त के अनुसार हिस्सा का अपने नाम से राजस्व अभिलेख में भूमि दर्ज करवाने चाहते है और इसी कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। भूमि कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज नही होने के कारण वादीगण न ही उसमें कोई नयी सुविधा प्राप्त कर सकते । वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 डब्लयू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 47/39 के मुरब्बा नम्बर 44, 45, 46, 57/23 की कुल 8.387 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम 7 डब्लयू, पटवार हल्का रामगढ संगर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 78/34 के मुरब्बा नम्बर 28, 37, 44, 48/23 की कुल 6.464 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 21/21 के मुरब्बा नम्बर 40, 48/28, 48/29 की कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 20/20 के मुरब्बा नम्बर 40 की कुल 0.632 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण को बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी का सम्मन बाद तामील प्राप्त। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी का जवाब स्टेट बन्द हो चुका है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम करने की

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

आवश्यकता नहीं है। वादीगण अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र अंतिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस वादीगण अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादीगण के वादपत्र मय शपथपत्र, एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, विरूद्व प्रतिवादी इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 डब्लयू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 47/39 के मुरब्बा नम्बर 44, 45, 46, 57/23 की कुल 8.387 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम 7 डब्लयू, पटवार हल्का रामगढ संगर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 78/34 के मुरब्बा नम्बर 28, 37, 44, 48/23 की कुल 6.464 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 21/21 के मुरब्बा नम्बर 40, 48/28, 48/29 की कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 20/20 के मुरब्बा नम्बर 40 की कुल 0.632 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हिस्से की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	देवेन्द्र सिंह पुत्र मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर।	3 डब्ल्यू	44	16/2	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				24/4	0.038 हैक्टेयर	नहरी	0.34
			45	16/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
				17/2	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				18/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
				19/2	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				20/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
				21 ता 25	1.265 हैक्टेयर	नहरी	11.25
			46	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				3	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				4	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				5	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				6 ता 25	5.060 हैक्टेयर	नहरी	45.00
			57/23		0.126 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	1.12
2	रणजीत सिंह पुत्र मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर।	7 डब्ल्यू	28	3 ता 8	1.518 हैक्टेयर	नहरी	13.38
				14	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.23
				15/1	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.56
			44	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.00
				2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.00
				9 ता 12	1.012 हैक्टेयर	नहरी	8.92
				19, 20	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.46
				21	0.189 हैक्टेयर	नहरी	1.67
				22	0.189 हैक्टेयर	नहरी	1.67
			40	11, 12	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.46
				13/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.11
				14	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.23
				15/1	0.051 हैक्टेयर	नहरी	0.45
				21 ता 24	1.012 हैक्टेयर	नहरी	8.92
				25	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.00
			48/19		0.051 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
			48/23		0.051 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
			48/28		0.013 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

			48/29		0.025 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
3	चरणजीत कौर पत्नी मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर।	7 डब्ल्यू	28	15/2	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.67
				16, 17	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.46
				24	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.78
				25	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.78
			37	17, 18	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.46
				22	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.67
				23	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.67
				24	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.67

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर [illegible] गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

देवेन्द्र सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि
धारा अन्तर्गत **53, 88, 91** आरटीए मुकदमा नम्बर **69/2025**
निर्णय दिनांक :-13.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजू के** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 3 डब्लयू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 47/39 के मुरब्बा नम्बर 44, 45, 46, 57/23 की कुल 8.387 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम 7 डब्लयू, पटवार हल्का रामगढ संगर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 78/34 के मुरब्बा नम्बर 28, 37, 44, 48/23 की कुल 6.464 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 21/21 के मुरब्बा नम्बर 40, 48/28, 48/29 की कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 20/20 के मुरब्बा नम्बर 40 की कुल 0.632 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हिस्से की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	देवेन्द्र सिंह पुत्र मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर।	3 डब्ल्यू	44	16/2	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				24/4	0.038 हैक्टेयर	नहरी	0.34
			45	16/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
				17/2	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				18/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
				19/2	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				20/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
				21 ता 25	1.265 हैक्टेयर	नहरी	11.25
			46	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				3	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				4	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				5	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				6 ता 25	5.060 हैक्टेयर	नहरी	45.00
			57/23		0.126 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	1.12
2	रणजीत सिंह पुत्र मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर।	7 डब्ल्यू	28	3 ता 8	1.518 हैक्टेयर	नहरी	13.38
				14	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.23
				15/1	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.56
			44	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.00
				2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.00
				9 ता 12	1.012 हैक्टेयर	नहरी	8.92
				19, 20	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.46
				21	0.189 हैक्टेयर	नहरी	1.67
				22	0.189 हैक्टेयर	नहरी	1.67
			40	11, 12	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.46
				13/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.11
				14	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.23
				15/1	0.051 हैक्टेयर	नहरी	0.45
				21 ता 24	1.012 हैक्टेयर	नहरी	8.92
				25	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.00
			48/19		0.051 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
			48/23		0.051 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
			48/28		0.013 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
			48/29		0.025 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

3	चरणजीत कौर पत्नी मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर।	7 डब्ल्यू	28	15/2	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.67
				16, 17	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.46
				24	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.78
				25	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.78
			37	17, 18	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.46
				22	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.67
				23	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.67
				24	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.67

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे।

आज दिनांक 14.05.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	1200	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	1204	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) 25

क्रमांकः रीडर/ 2025/291

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)